मु .नं. 21/2017

6.8.024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय के तहत पेश किया कि सरहद मौजा चौरा पटवार हल्का चौरा तहसील सांचौर में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 246 रकवा 8.58 हैक्टयर जमाबन्दी में दर्ज किया लेकिन नक्शे में 8.18 हैक्टयर ही रकबे का नक्शा तजवीज कर प्रार्थीगण कर प्रार्थीगण के 0.40 हैक्टयर भूमि नक्शे का रकबा कम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर प्रार्थीगण का 8.58 हैक्टयर पर कब्जा काश्त है। वर्षों पुरानी माठे कायम होना बताया गया। कि खसर 246/1648 का मौके पर कोई अस्तीत्व नही है एवं मौके पर भूमि खसरा नम्बर 246 के रूप में एक चक में आयी हुई है। साथ ही बताया कि जमाबन्दी में दर्ज रकबे के बराबर नक्शे तजवीज लिपिकिय त्रुटि से नही किया गया जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने आराजी का गलत तौर से बेचान भी कर दिया। कब्जे का मौके पर कोई हस्तांतरण नही हुआ है। रेकर्ड व मौके की भिन्नता है, वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद ताफैसला जारी फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा चौरा पटवार हल्का चौरा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 246/1648 रकबा 0.30 हैक्टयर भूमि मुझ अप्रार्थी प्रतापसिंह ने विक्रय कर्ता मुस्समात उगम कंवर बेवा मुकनसिंह कौम राजपूत से जरिये पंजिबद्व विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 246 पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 201703442100286 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1049 के पृष्ठ संख्या 25 से 33 दिनांक 28.02.2017 के खरीद कर मौके पर क्रय सुदा खेत का बैचान कुनिन्दीया/अप्रार्थी उगम कवंर से कब्जा प्राप्त किया था। तब से मेरा इस खेत पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त नियमानुसार जारी है। मेरा उक्त खेत खसरा नम्बर 246/1648 रकबा 0.30 हैक्टयर नवीन खाता नम्बर 28 की पृथक आराजी है। इस प्रकार क्रय सुदा खेत कभी भी प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 8.58 हैक्टयर भू-भाग नही रहा है। मुझ अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण के खेत प्रथम भू-प्रबन्ध से आज दिन तक अलग-अलग अपनी-अपनी खातेदारी में रहे है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 246/1648 के संबध में किया गया क्लेम निराधार आधारहीन व सरासर गलत है। वक्त खरीद से इस भूमि पर मुझ अप्रार्थी प्रतापसिंह पुत्र भाखराराम का कब्जा काश्त है तथा चारों तरफ पुराने माठे कायम है। व मेरे द्वारा तारबंदी वगैरह की हुई है। वादग्रस्त आराजी उगम कवंर की अलग से तरमीम सुदा आराजी थी। अप्रार्थी संख्या 2 प्रतापसिंह को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैचान की है, ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष न होकर मुझ अप्रार्थी 2 के पक्ष में है। यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण विरूद्व जारी की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जबकि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई भी अपूरणीय क्षति नही होनी है, क्योंकि उक्त आराजी कभी प्रार्थीगण की रही नही है। प्रार्थीगण ने सारे तथ्य मनगढन्त व गलत लिखे है प्रार्थीगण के पक्ष में ... तीनों आधार भुत स्तम्भ प्रमाणित नही होते है तथा कोई ठोस कारण या सबूत नही होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होने

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(राजस्व अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण के पक्ष तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चौरा पटवार हल्का चौरा तहसील सांचौर में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 8.58 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner